कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री श्रीमती निशा अग्रवाल 128 / 109, जी ब्लाक, किदवई नगर, कानपुर।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**50 / 12, 10.09.2012**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री श्रीमती निशा अग्रवाल 128 / 109, जी ब्लाक, किदवई नगर, कानपुर द्वारा दिनांक 10.09.2012 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा पृच्छा की गयी है कि 2008 में खरीदी गयी कार 2011 में बेची गयी है, उस पर वैट की दर की जानकारी चाही गयी है ।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 18.09.2013 के लिए नोटिस भेजी गई। उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। एक लिखित उत्तर दिनांक 29.09.2012 को दिया, जिसमें कहा गया कि मैं कोई वैट नियम में संशोधन नहीं करवाना चाहती हूँ। यदि इस पर दुबारा वैट लगेगा तो किस नियम के तहत लगेगा आप इतनी जानकारी दे दें तो अति कृपा होगी।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-द्वितीय, कानपुर द्वारा पत्र संख्या-982, दिनांक 06.10.2012 द्वारा आख्या प्रेषित की गयी है जिसके अनुसार उल्लेख किया गया है कि यदि कार फर्म के नाम से खरीदी गयी है तो उक्त कार की बिक्री पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत करदेयता बनती है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की कर अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-129 पर ''Used motor vehicles. " की प्रविष्टि है। अत: पुरानी कार की बिक्री पर 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की देयता है।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-द्वितीय, कानपुर द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की कर अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-129 पर ''Used motor vehicles. " अंकित है। अत: प्रयुक्त कार की बिक्री पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत 4% + नियमानुसार विशेष अतिरिक्त कर की दर से करदेय होगा।

.....2

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 07 नवम्बर, 2013

ह0 / 07.11.2013

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।